उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

श्री न्यायाधीश S.K. मिश्रा, A.C.J.

फैसला सुरक्षितः 22.11.2021

निर्णयः 25.03.2022

लिखित याचिका (एम/एस) नं. 533/2002

उत्तराखण्ड राज्य।

.....याचिकाकर्ता

और

शम्स अहमद और अन्य।

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए वकील : श्री I.P. कोहली, स्थायी वकील।

प्रतिवादीओं के लिए वकील : Mr. B.D. पांडे, श्री पुलक अग्रवाल और श्री भरत तिवारी।

विद्वान वकील को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया–

निर्णय–माननीय श्री S.K. Mishra, A.C.J

इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता, उत्तराखण्ड राज्य ने दिनांक 05.12.2001 (अनुलग्रकसं. 5) अतिरिक्त कमिश्नर, कुमाऊं डिविजन नैनीताल के अधिकतम सीमा मामले सं0 51/36 (1990–91) दीवानी याचिका सं. 4/13 (वर्ष 1999–2000) तथा दिनांक 04.02.2000 (अनुलग्रकसं.3)–निर्धारित प्राधिकरण/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एफएंडआर), ऊधमसिंहनगर के आदेश को

चुनौती दी।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार है–

i. वर्ष 1975 में, U.P. की खंड 10(2) के तहत एक नोटिस। भूमिधारण अधिनियम, 1960 (इसके बाद ''1960 अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) पर अधिकतम सीमा का अधिरोपण श्रीमती को जारी किया गया था। अमाना बेगम ने अन्य बातों के साथ–साथ किच्छा तहसील के तीन गांवों रहपुरा, खमरिया और चिंकी में अपने पास मौजूद कुल 24.67 हेक्टेयर भूमि में से 7.30 हेक्टेयर भूमि उनके पास रहेगी और शेष 17.37 हेक्टेयर भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया जाएगा। हालांकि, इससे पहले कि उक्त नोटिस दिया जा सके, श्रीमती अमाना बेगम की मृत्यु हो गई। इसके बाद, श्री शम्स अहमद और श्रीमती. अहमदी बेगम (प्रतिवादी संख्या क्रमशः 1 और 2) ने उक्त सूचना पर आपत्ति दर्ज की। निर्धारित प्राधिकरण ने दिनांक 29.11.1975 के अपने आदेश को अधिकतम सीमा वाले मामले सं. 51/204 (वर्ष 1975–75) ने 17.37 हेक्टेयर भूमि का अधिशेष घोषित किया।

ii. निर्धारित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29.11.1975 को पारित आदेश व्यथित प्रतिवादी सं0 1 और 2 ने एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.02.1977 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके तहत दिनांक 29.11.1975 का आदेश निर्धारित किया गया था और यह था– निर्देश दिया कि 1960 के अधिनियम की खंड 10(2) के तहत नोटिस फिर से जारी किया जाए।

iii. तद्नुसार, खंड 10 (2) के अधीन अधिसूचना 16.09.1978 को पुनः जारी की गई। विहित प्राधिकरण ने दिनांक 16.01.1981 के अपने आदेश में यह अभिनिर्धारित किया कि कोई अधिशेष भूमि नहीं है और तद्नुसार, 1960 के अधिनियम की खंड 10(2) के अधीन जारी सूचना को निरस्त कर दिया।

iv. उत्तराखण्ड राज्य (इसमें याचिकाकर्ता) ने विहित प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 16.01.1981 के आदेश को चुनौती देते हुए अपील की, जिसे अपीलीय प्राधिकरण ने अपने दिनांक 04.12.1981 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। इससे व्यथित होकर, उत्तराखण्ड राज्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 30.09.1982 को खारिज कर दिया गया।

v. उत्तराखण्ड राज्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.1982 के आदेश को चुनौती दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 05.11.

1986 के अपने निर्णय में दीवानी याचिका सं0 1986 के 3949 ने अपील की अनुमति दी और मामले में पारित पहले के आदेशों का पालन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, चूंकि श्रीमती. अमाना बेगम 08.06.1973 को जीवित थी, जिस तारीख को राज्य में होल्डिंग्स पर सीलिंग उत्तर प्रदेश को अधिनियम की धारा 5 द्वारा अधिरोपित किया गया था, वह उक्त धारा के अनुसार अपने हाथों में अतिरिक्त भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी हो गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तद्नुसार, उच्च न्यायालय और अन्य प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेशों को निर्धारित किया और अन्य सभी प्रश्नों को खुला छोड़ते हुए, कानून के अनुसार और अपने निर्णय के आलोक में नए सिरे से निपटने के लिए मामले को निर्धारित प्राधिकरण को भेज दिया।

vi. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 05.11.1986 के अनुसार मामले को नये सिरे से निपटाने के लिए निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष एक अधिकतम सीमा का मामला प्रस्तुत किया गया था। उक्त अधिकतम सीमा वाले मामले के विचाराधीन रहने के दौरान, श्री दौलतराम (प्रतिवादी सं0 4 और 5), श्री बाधवाराम (प्रतिवादी सं0 6 & 7), श्री प्यारेलाल (प्रतिवादी सं0 8 & 9), श्री चौधरी राम (प्रतिवादी सं0 10), श्री रोशन लाल (प्रतिवादी सं0 11) और श्री प्रेमनाथ (प्रत्यर्थी नं0 12) को सीलिंग मामले में उनके अभियोग के लिए आवेदन भेजे गए। निर्धारित प्राधिकरण ने दिनांक 30.09.1991 के आदेश द्वारा उक्त आवेदनों को खारिज कर दिया। दिनांक 30.09.1991 के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गई थी, जिसे 18.02.1993 को भी खारिज कर दिया गया था।

vii. उपर्युक्त प्रतिवादी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करके दिनांक 30.09.1991 और 18.02.1993 के आदेशों को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने, दिनांक 15.03.1993 के अपने निर्णय के माध्यम से, रिट याचिकाओं को अनुमति दी; दोनों आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित कर दिया; और निर्देश दिया कि इसके समक्ष याचिकाकर्ता (उपर्युक्त उत्तरदाताओं) को श्रीमती के खिलाफ शुरू किए गए 1960 के अधिनियम की धारा 10(2) के तहत कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में शामिल किया जाएगा। अमाना बेगम और उनके मामले के समर्थन में सबूत का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए। इस स्तर पर, उपरोक्त मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर ध्यान देना उचित है जो इस प्रकार है–

पीठ ने कहा, ''पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता ने अधिशेष भूमि के निर्धारण की कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में

शामिल होने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनाया था। अमीना बेगम, यदि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में समर्थ हो सकता है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, उसने U.P. की धारा 210 के तहत अधिकार हासिल कर लिए थे। एक्ट नं0 1951 की धारा 1, सुसंगत तारीख को उस दशा में उसे अपने अधिकार में कार्यकाल धारक माना जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब याचिकाकर्ता को मामले में साक्ष्य देने का अवसर दिया गया हो। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। तद्नुसार, रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। दिनांक 30.09.1991 और 18.02.1993 के आक्षेपित आदेश अभिखंडित कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता को U.P. की धारा 10(2) के तहत कार्यवाही में एकपक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा। श्रीमती के खिलाफ भूमिधारण अधिनियम पर अधिकतम सीमा का अधिरोपण शुरू किया गया। अमीना बेगम, (अब श्री एस. अहमद द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है) और उन्हें अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य देने की अनुमति दी जाएगी।''

viii. उपरोक्त उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार प्रतिवादी ने अपनी आपत्तियों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये निर्धारित प्राधिकरण ने दिनांक 30. 09.1995 के अपने आदेश में 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि को असिंचित अधिशेष भूमि घोषित किया।

ix. विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.1995 को पारित आदेश से व्यथित होकर, उत्तराखण्ड राज्य(याचिकाकर्ता) ने अपील संख्या 3/2, वर्ष 1995–96 अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय प्राधिकरण ने दिनांक 26.05.1997 के अपने आदेश में दिनांक 30.09.1995 के आदेश का अनुमोदन किया और मामले को नए सिरे से निपटाने के लिए निर्धारित प्राधिकरण को भेज दिया। मामले को निर्धारित प्राधिकरण को भेजते समय, अपीलीय प्राधिकरण ने निम्नलिखित 04 मुद्दों पर फिर से विचार करने और निर्धारित प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने का अवलोकन किया:

(a) मूल कार्यकाल धारक के उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि शम्स अहमद को 6 हेक्टेयर भूमि की छूट कानून के अनुसार नहीं है ?

(b) जमीन सिंचित है या सिंचित नहीं है ?

(c) प्रेमनाथ और दौलतराम की भूमि को मूल कार्यकाल धारक अमाना बेगम से अलग किया जाना चाहिए ?

(d) यदि, चौधरी राम और रोशनलाल के कब्जे में भूमि के संबंध में, निर्धारित प्राधिकरण का दिनांक 30.09.1995 का आदेश अस्पष्ट और गैर–भाषी है ?

x. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.05.1997 को पारित आदेश के अनुसार विहित प्राधिकारी ने अपने दिनांक 04.02.2000 अनुसंलग्नक नं0 3 के आदेश द्वारा 1960 के अधिनियम की धारा 10 (2) के अधीन अधिकतम सीमा वाले मामले का निपटारा किया। निर्धारित प्राधिकरण ने उक्त आदेश के अनुसार, श्रीमती के उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को 6 हेक्टेयर भूमि की छूट प्रदान की। अमाना बेगम ने माना कि पूरी भूमि सिंचित नहीं थी। रोशनलाल और चौधरीराम के कब्जे वाली भूमि के बारे में, निर्धारित प्राधिकरण ने माना कि भूमि रोशनलाल और चौधरीराम की अलग–अलग थी, क्योंकि समेकन अधिकारी ने पहले इसी आशय का निष्कर्ष निकाला था।

xi. विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2000 को पारित उक्त आदेश से व्यथित उत्तराखण्ड राज्य (याचिकाकर्ता) ने सिविल अपील नं0 4/13 (1999–2000) को प्राथमिकता दी। अपील में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निर्धारित प्राधिकरण ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 05.11.1986 के फैसले पर विचार किए बिना, प्रतिवादी सं0 1 के परिवार के सदस्यों को 6 हेक्टेयर भूमि की छूट प्रदान की है। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि श्रीमती अमाना बेगम की मृत्यु के समय, उनका कोई कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि नहीं था। प्रतिवादी नं0 1 (शम्स अहमद) और प्रतिवादी नं0 1 से 3 के पिता (फजल अहमद) ने खुद को दिनांक 16.05.1974 की एक अपंजीकृत वसीयत के आधार पर श्रीमती अमाना बेगम के उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा किया। जिसके द्वारा श्रीमती. अमाना बेगम ने उक्त प्रतिवादियों को 366 बीघा 9 बिस्वा भूमि विरासत में दी थी। अतः प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 तक ''कार्यकाल धारक'' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत किसी भी छूट के हकदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि भले ही परिवार के रजिस्टर को प्रतिवादी नं0 1, विहित प्राधिकारी ने विधि और तथ्य की स्पष्ट त्रुटि की है, क्योंकि प्रत्यर्थी नं0 1, यदि अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत किसी भी छूट का हकदार है, तो केवल 2 हेक्टेयर की छूट दी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1974 में पैदा हुआ बच्चा 08.06.1973, नियत दिन पर परिवार के सदस्यों की संख्या में शामिल नहीं हो सकता

है। यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रभाव का निष्कर्ष देने के बावजूद कि 76 बीघा 10 बिस्वा श्री प्रेमनाथ और श्री दौलत राम द्वारा पंजीकृत बिक्री–विलेख द्वारा से खरीदी गई, भूमि को मूल कार्यकाल धाकर श्रीमती. सीमा क्षेत्र के निर्धारण के उद्देश्य से, निर्धारित प्राधिकरण ने केवल 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि को अधिशेष घोषित किया। अतिरिक्त आयुक्त, कुमाऊं प्रभाग, नैनीताल, दिनांक 05.12.2001 (अनुसंलग्नक 5) ने अपील को खारिज किया। अपीलीय प्राधिकरण ने कथित तौर पर निर्धारित प्राधिकरण द्वारा की गई सामग्री अनियमिततओं को देखे बिना अपील का फैसला किया है।

xii. अतः, दिनांक 04.02.2000 को निर्धारित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश (अनुसंलग्नक 3) और दिनांक 05.12.2001 का आदेश (अनुसंलग्नक 5) अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने के लिए वर्तमान पंचिका दाखिल की गयी।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया।

4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि, जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 05.11.1986 के द्वारा रिमांड किया गया था। विद्वान विहित प्राधिकारी को, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखना चाहिए था और मामले का निर्णय लेना चाहिए था। इसके अलावा, अन्य प्रतिवादी द्वारा कार्यान्वयन आवेदनों को दाखिल करने के विकास पर और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्देश के अनुसार, नए जोड़े गए प्रतिवादी को यह स्थापित करने का अवसर दिया जाना चाहिए था कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे या कानून के संचालन द्वारा अपने अधिकार को कैसे परिपूर्ण किया है, अर्थात् U.P. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 210 और उसके तहत बनाए गए नियम।

5. इस स्तर पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सटीक आदेश पर ध्यान दिया जाना उचित है। प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

''श्रीमती आमना बेगम 8 जून, 1973 को जीवित थीं, जिस तारीख को अधिनियम की धारा 5 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में जोत पर अधिक तय सीमा लगाई गई थी। श्रीमती. आमना बेगम उस खंड के अनुसार अपने हाथों में अतिरिक्त भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी हो गई, जो वे रख सकती थी। केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत नोटिस जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई

थी, अधिशेष भूमि को सौंपने का उनका दायित्व समाप्त नहीं होगा। अधिनियम के तहत बनाए गए उत्तर प्रदेश अधिकतम सीमा भूमि धारक नियम, 1961 के नियम 19 में यह प्रावधान है कि जहां अधिनियम की धारा 9 के तहत सामान्य नोटिस के प्रकाशन से पहले एक कार्यकाल धारक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा प्रकाशन यह समझ जाएगा कि यह निष्पादक, प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों पर लागू होता है और निर्धारित प्राधिकरण मृतक व्यक्ति पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारण के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि कार्यकाल धारक थे। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां एक कार्यकाल धारक को नोटिस दिए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, अधिनियम की धारा 10 की खंड (2) के अनुसार विहित प्राधिकारी अपने निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को ऐसी सूचना दे सकता है और मृतक व्यक्ति पर लागू अधिकतम सीमा का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि कार्यकाल धारका हों।

उच्चतम सीमा अधिरोपित किए जाने की तारीख को भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों के हाथों में भूमि सुधार कानूनों के अधीन अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए लागू सिद्धांत रघुनाथ लक्ष्मणवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1971) 3 एस0सी0सी0 391 में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार विवरण किया गया हैः

''अधिनियम की योजना नियत दिन के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति (एक परिवार सहित) के अधिकतम सीमा क्षेत्र को निर्धारण के लिए प्रतीत होता है। अधिनियम की नीति यह प्रतीत होता है कि नियत दिन पर और उसके बाद राज्य में किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत निर्धारित क्षेत्र से अधिक भूमि रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और वह क्षेत्र वही होगा जो नियत दिन पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए, यदि 26 जनवरी, 1962 को पांच से अधिक व्यक्तियों से युक्त परिवार है, तो उस परिवार के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र मूल अधिकतम सीमा क्षेत्र और प्रतिसदस्य 1/6 वां होगा, जो संख्या पांच से अधिक है। इस प्रकार निर्धारित अधिकतम सीमा क्षेत्र अपने सदस्यों की संख्या में बाद में वृद्धि या कमी के साथ उतार–चढ़ाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि धारा 3 और 4 की स्पष्ट भाषा के अलावा, अधिनियम में किसी परिवार के अधिकतम सीमा क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के लिए उसके सदस्यों की संख्या में भिन्नता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह तर्क कि परिवार के सदस्यों की संख्या में प्रत्येक वृद्धिया कमी के लिए ऐसे परिवार के छत क्षेत्र के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता होती है, का अर्थ होगा सीलिंग क्षेत्र में

लगभग स्थायी निर्धारण और पुनर्निर्धारण राजस्व प्राधिकरण, एक ऐसी स्थिति जिस पर विधायिका द्वारा शायद ही विचार किया गया हो।''

उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्वांत का पालन इस न्यायालय द्वारा भी काबाशंकरधूमल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि **और अन्य बनाम मोहनलाल पुंचंदटाथेड और अन्य।, (1982) 1 एससीसी 680 में** किया गया। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था किसी व्यक्ति के मामले में अधिशेष भूमि, जिसके पास नियत दिन पर अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि थी, का निर्धारण नियत दिन के अनुसार किया जाना था, भले ही ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अधिशेष भूमि की वास्तविक सीमा निर्धारित और अधिसूचित होने से पहले ही हो गई हो। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन व्यक्तियों को उनकी मृत्यु पर उनकी हिस्सेदारी हस्तांतरित की गई थी, वे नियत दिन पर अधिशेष भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी होंगे क्योंकि मृतक के स्वामित्व से जुड़ा दायित्व उनकी मृत्यु पर समाप्त नहीं होगा।

यद्यपि उपर्युक्त विनिश्चय महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम धारिता) अधिनियम, 1961 के अधीन उत्पन्न होने वाले मामलों में दिए गए हैं, तथापि इसमें निर्धारित सिद्धांत उन सभी मामलों पर लागू होता है जहां भूमिधार को द्वारा धारित भूमि पर अधिकतम सीमा का अधिरोपण एक विनिर्दिष्ट तिथि से भूमि अधिकतम धारिता कानूनों द्वारा किया गया है। वास्तव में अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का नियम 19, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, भी इसी दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। किसी कार्यकाल धारक द्वारा जो भी अधिशेष भूमि समर्पण के लिए उत्तरादायी थी, उसे 8 जून, 1973 को निर्धारित किया जाना चाहिए और अधिनियम के तहत कब्जा लिया जाना चाहिए, भले ही कार्यकाल धारक की मृत्यु 8 जून, 1973 के बाद और इस तरह के निर्धारण से पहले हो गई हो।

इसलिए हम विहित प्राधिकरण और सिविल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि अधिशेष भूमिका निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए श्रीमती के प्रत्येक उत्तराधिकारी के हाथों में भूमिका हिस्सा है। अधिशेष भूमि निर्धारित करने के लिए आमना बेगम को एक अलग इकाई के रूप में माना जाना चाहिए। हम मानते हैं कि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए जो श्रीमती की संपत्ति से समर्पण करने के लिए उत्तरदायी है। आमना बेगम, प्रासंगिक तिथि जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह 8 जून, 1973 है जिस तारीख को जोत पर अधिकतम सीमा लागू की गई थी और श्रीमती एरिना बेगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी हो गई। श्रीमती आमना बेगम के

उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि संयुक्त रूप से श्रीमती की संपत्ति से बाहर रहने की हकदार हैं। श्रीमती आमना बेगम केवल उस क्षेत्र के बराबर भूमि का विस्तार करती हैं जो भूमि जोत पर अधिकतम सीमा लागू होने के बाद आमना बेगम अपने हाथों में रख सकती थी और वे अधिशेष भूमि को सौंपने के लिए उत्तरदायी हैं। उच्च न्यायालय रिट याचिका का निपटारा करते समय प्रश्न के इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा।''

6. इस प्रकार, हमें इस बात की जांच करनी होगी कि क्या विद्वान निर्धारित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश, जैसा कि विद्वान अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप है।

7. जहाँ तक अधिशेष भूमि और भूमि के निर्धारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का संबंध है, जिसमें श्रीमती अमाना बेगम संबंधित हैं, विद्वान निर्धारित प्राधिकरण ने कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया है। यह आंतरिक पृष्ठ संख्या 6 के दूसरे पैराग्राफ से स्पष्ट है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा उस पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया है। निम्नलिखित के रूप में पुनः उत्पन्न करना उचित हैः

पत्रावली पर संलग्न परिवार पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसमें परिवार का प्रमुख शमश अहमद तथा शमश अहमद के अतिरिक्त उनकी पत्नी श्रीमती फिरदौसी बेगम तथा उसके पांच बच्चे जिनमें तीन पुत्र तथा दो पुत्रियां हैं। पुत्रों में मो0 अहमद की जन्म तिथि 1968ए सुराज अहमद की जन्म तिथि 1971 तथा मौ0 परवेज की जन्म तिथि 1974 है। इस प्रकार शमसाद अहमद के परिवार में कुल 7 सदस्य होने की पुष्टि की गई है। आपत्तिकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से सीलिंग अधिनियम की धारा 5–3 व की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि यदि किसी परिवार में 5 सदस्य से अधिक है तो उसे 6 है0 (असिंचित) का लाभ मिलना चाहिए। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार खातेदार शम्स अहमद को 6 है0 (असिंचित) का लाभ दिया जा सकता है।

8. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि कार्यकाल धारक शम्स अहमद को बनाए रखने के लिए 6 हेक्टेयर भूमि दी जा सकती है, निर्धारित प्राधिकरण ने मुद्दा नं0 2, क्या भूमि सिंचित है। आदेश के प्रभावी भाग से यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या 6 हेक्टेयर भूमि श्रीमती अमाना बेगम के पक्ष में दी गई है या उनके कानूनी उत्तराधिकारी। निर्धारित प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि भूमि गैर–सिंचित है, जो इस स्तर पर विवादित नहीं है। निर्णय लेते समय मुद्दा नं0 3, क्या प्रेमनाथ और

दौलतराम द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख द्वारा से खरीदी गई भूमि को मूल कार्यकाल धारक से अलग किया जाना चाहिए, विद्वान विहित प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 22.07.1974 का है और, 1960 के अधिनियम की धारा 5 की उपखंड (6) के अनुसार, कोई अंतरण, जो अधिकतम सीमा से बचने के इरादे से नहीं किया गया है और सद्भावना से किया गया है, को अधिकतम सीमा कार्यवाही से बाहर रखा जाएगा यदि यह 14.01.1971 से पहले किया गया है। 1960 के अधिनियम की धारा 5 पर ध्यान दें उचित है, जो इस प्रकार हैः

''5. सीलिंग का अधिरोपण–**(1)** उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा (संशोधन) अधिनियम, 1972 का अधिरोपण के प्रारम्भ से कोई भी कार्यकाल धारक उत्तर प्रदेश के माध्यम से कुल मिलाकर, उस पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक किसी भी भूमि को धारण करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण।. – किसी कार्यकाल धारक के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने में, उसके द्वारा अपने स्वयं के अधिकार में रखी गई सभी भूमि, चाहे वह उसके अपने नाम पर हो, या प्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, को ध्यान में रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण ।।. – यदि 24 जनवरी, 1971 को या उससे पहले, कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के पास थी, जो अभी भी उसके वास्तविक कृषक कब्जे में है और किसी व्यक्ति का नाम उक्त तिथि के बाद वार्षिक रजिस्टर में दर्ज किया गया है, या तो पूर्व के अतिरिक्त या अपवर्जन के लिए और चाहे हस्तांतरण या लाइसेंस के विलेख के आधार पर या डिक्री के आधार पर, यह तब तक माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत निर्धारित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित नहीं हो जाता है, कि पहले उल्लिखित व्यक्ति के पास भूमि बनी हुई है और यह कि यह दूसरे उल्लिखित व्यक्ति के नाम पर प्रत्यक्ष रूप से उसके पास है।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर लागू नहीं होगी, अर्थात्–

(a) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी या निगम;

(b) एक विश्वविद्यालय;

(c) एक मध्यवर्ती या डिग्री कॉलेज जो कृषि में शिक्षा प्रदान करता है या

एक स्नातकोत्तर कॉलेज;

(d) एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक या एक सहकारी भूमि विकास बैंक

(e) U.P के अधीन गठित भूदान यज्ञ समिति। भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबंधों के बशर्ते रहते हुए, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र होगा–

(a) पांच से अधिक सदस्यों के परिवार वाले कार्यकाल धारक के मामले में,

7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि (अपने परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आयोजित भूमि सहित) सिंचित भूमि या ऐसी अतिरिक्त भूमि जो उसके द्वारा धारित भूमि के साथ मिलकर उसके प्रत्येक वयस्क पुत्र के लिए दो हेक्टेयर तक हो, जो या तो स्वयं कार्यकाल धारक नहीं हैं या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है, बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त भूमि के अधिकतम छह हेक्टेयर के बशर्ते हो;

(b) (ख) पांच सदस्यों से अधिक के परिवार वाले किसी कार्यकाल धारक की दशा में, इसके अतिरिक्त, पांच से अधिक के प्रत्येक सदस्य की 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि (उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि सहित) और उसके प्रत्येक वयस्क पुत्र के लिए, जो स्वयं कार्यकाल धारक नहीं हैं या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है, दो अतिरिक्त हेक्टेयर सिंचित भूमि या ऐसी अतिरिक्त भूमि जो ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धारित भूमि के साथ मिलकर दो हेक्टेयर हो, जो ऐसी अतिरिक्त भूमि के अधिकतम छह हेक्टेयर के बशर्ते हो;

स्पष्टीकरण. – खंड (ए) और (बी) में व्यक्त 'वयस्क पुत्र' में एक वयस्क पुत्र शामिल है जो मर चुका है और अपने पीछे नाबालिग बेटे या नाबालिग बेटियां (विवाहित बेटियां के अलावा) छोड़ गया है जो स्वयं कार्यकाल धारक नहीं हैं या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है;

(c) x x x

(d) x x x

(e) किसी अन्य कार्यकाल धारक के मामले में,

7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि;

स्पष्टीकरण. – भूमि का कोई अंतरण या विभाजन जिसकी (6) और (7) के अधीन उपेक्षा की जा सकती है, उसकी भी उपेक्षा की जाएगी–

(f) यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या कार्यकाल धारक का एक वयस्क पुत्र स्वयं खंड (ए) या खंड (बी) के अर्थ के भीतर कार्यकाल धारक है;

(g) खंड 9 के अधीन सूचना की तामील के प्रयोजनों के लिए।

(4) जहां किसी फर्म या सहकारी समिति या व्यक्तियों के संघ (चाहे निगमित हो या नहीं, लेकिन सार्वजनिक कंपनी सहित नहीं) द्वारा कोई होल्डिंग आयोजित की जाती है, वहां इसके सदस्य (चाहे भागीदार, शेयर धारक या किसी अन्य नाम से), इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित माने जाएंगेः

उस फर्म, सहकारी समितियां अन्य समाज या व्यक्तियों के संघ में अपने–अपने शेयरों के अनुपात में उस होल्डिंग को पकड़नाः

परन्तु जहां फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के संघ में प्रवेश करने से ठीक पहले किसी व्यक्ति के पास अपने पूर्वोत्तर हिस्से के आनुपातिक क्षेत्र से कम भूमि या भूमि का क्षेत्र नहीं था, वहां उसके पास कोई हिस्सा नहीं था, या यथास्थिति, उस होल्डिंग में केवल कम क्षेत्र था, और होल्डिंग का संपूर्ण या शेष क्षेत्र, यथास्थिति, फर्म, सहकारी सोसायटी या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के संघ में अपने–अपने शेयरों के अनुपात में शेष सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया समझा जाएगा।

(5) किसी निजी न्यास द्वारा धारित किसी होल्डिंग के संबंध में–

(a) जहां ऐसे न्यास से होने वाली आय में इसके लाभार्थियों के शेयर ज्ञात या निर्धारणीय हैं, वहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लाभार्थियों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके पास उस न्यास से होने वाली आय में उनके संबंधित शेयरों के समान अनुपात में उस होल्डिंग में शेयर हैं।

(b) किसी अन्य मामले में, यह उपधारा (3) के खंड (ड.) द्वारा शासित होगा।

(6) कार्यकाल धारक के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण

करने में जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन के बाद किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण को, जिसे हस्तांतरण के लिए इस अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि घोषित किया गया होगा, की अनदेखी की जाएगी और इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी लागू नहीं होगा–

(a) उप धारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति (सरकार सहित) के पक्ष में अंतरण;

(b) ऐसा अंतरण जो विहित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सद्भावना से और पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए और एक अपरिवर्तनीय लिखत के अधीन जो बेनामी लेन–देन नहीं है या कार्यकाल धारक या उसके परिवार के अन्य सदस्यों के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए सिद्ध हुआ हो।

स्पष्टीकरण।. – इस उप–खंड के प्रयोजनों के लिए, जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन के बाद किए गए भूमि के हस्तांतरण में शामिल हैं–

(a) किसी वाद या कार्यवाही में 24 जनवरी, 1971 के पश्चात्–कार्यकाल धारक के रूप में किसी व्यक्ति की घोषणा, चाहे ऐसा वाद या कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को लंबित होना थी या उसके पश्चात् की गई थी;

(b) किसी अन्य विलेख या लिखत में या किसी अन्य तरीके से किए गए समान प्रभाव के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रवेश, पावती, त्याग या घोषणा।

स्पष्टीकरण।।. – यह साबित करने का भार कि कोई मामला परन्तुक के खंड (ख) के भीतर आता है, पक्षकार के लाभ का दावा करने पर निर्भर करेगा।

(7) किसी कार्यकाल धारक को लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित करने में, जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन के बाद किए गए भूमि के किसी भी विभाजन को, जिसे विभाजन के लिए इस अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि घोषित किया गया होगा, नजरअंदाज कर दिया जाएगा और ध्यान में नहीं रखा जाएगाः

(a) x x x

(b) उक्त तिथि को लंबित होना मुकदमा या कार्यवाही में किए गए धारिता का विभाजनः

बशर्ते कि पूर्ववर्ती परंतुक में किसी बात के होते के बावजूद विहित प्राधिकारी, यदि यह राय है कि विभाजन के लिए कार्यकाल धारक और किसी अन्य पक्ष के बीच मिली भुगत से, ऐसे अन्य पक्ष को एक हिस्सा दिया गया है जिसका वह हकदार नहीं था, या उससे अधिक हिस्सा जिसका वह हकदार था, ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है।

स्पष्टीकरण।. – यदि घोषणा के लिए उक्त तिथि के बाद कोई वाद मुकदमा किया जाता है कि भूमि का विभाजन उक्त तिथि को या उससे पहले हुआ है, तो ऐसी घोषणा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और यह माना जाएगा कि उक्त तिथि को या उससे पहले कोई विभाजन नहीं हुआ है।

स्पष्टीकरण।।. – यह साबित करने का भार कि कोई मामला पहले परन्तुक के भीतर आता है, पक्ष द्वारा अपने लाभ का दावा करने पर निर्भर करेगा।

(8) उपखंड (6) और (7) में किसी बात के होते के बावजूद कोई भी कार्यकाल–धारक ऐसे कार्यकाल–धारक के संबंध में अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के जारी रहने के दौरान उसके द्वारा धारित किसी भी भूमि का अंतरण नहीं करेगा और इस उप–खंड के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अंतरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण. – इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अधिशेष भूमि के अवधारण की कार्यवाही खंड 9 की उपखंड (2) के अधीन सूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रारंभ की गई समझी जाएगी और यह समझा जाएगा कि खंड 11 की उपखंड (1) के अधीन या खंड 12 की उपखंड (1) के अधीन या खंड 13 के अधीन, यथास्थिति, ऐसे कार्यकाल धारक के संबंध में आदेश पारित किए जाने की तारीख को उसका समापन हुआ था।''

9. 1960 के अधिनियम की धारा 5 की उपखंड (6) को ध्यानपूर्वक पढ़ने से सभी अंतरणों को कार्यकाल धारक के अधिकतम सीमा क्षेत्र के भीतर अभिनिर्धारित किया जाएगा, एक अपवाद का उपबंध किया गया है, जो निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर लागू होता हैः

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति (सरकार सहित) के पक्ष में अंतरण;

(ii) ऐसा अंतरण जो विहित प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सद्भावना से और पर्याप्त रूप से विचार करने के लिए और एक अपरिवर्तनीय लिखत के अधीन जो

बेनामी लेन–देन नहीं है या कार्यकाल धारक या उससे परिवार के अन्य सदस्यों के तत्काल या आस्थगित लाभ के लिए सिद्ध होता हो।

10. उक्त उपधारा में आगे यह उपबंध किया गया है कि ''जनवरी, 1971 के चौबीसवें दिन के बाद किए गए भूमि अंतरण'' पद में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसी वाद या कार्यवाही में 24 जनवरी, 1971 के पश्चात्–कार्यकाल धारक के रूप में किसी व्यक्ति की घोषणा, चाहे वह वाद या कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को लंबित होना थी या उसके पश्चात्मुकदमा की गई थी;

(ख) किसी अन्य विलेख या लिखत में या किसी अन्य तरीके से किए गए समान प्रभाव के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई प्रवेश, पावती, त्याग या घोषणा।

11. इसके स्पष्टीकरण 2 में यह उपबंध किया गया है कि यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला परन्तुक के खंड (ख) के अंतर्गत आता है, पक्षकार द्वारा अपने लाभ का दावा करने पर निर्भर करेगा।

12. इस मामले में इन सिद्धांतों को लागू करने में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि, 22.07.1974 तक, मूल कार्यकाल धारक पहले से ही मर चुका था। व्यक्ति, जो कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं यानि प्रतिवादी सं 1 से 3 तक, बिक्री–विलेख को निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि बिक्री–विलेख को कार्यकाल–धारक द्वारा प्रामाणिक उद्देश्यों के लिए निष्पादित किया गया है, जो 1960 के अधिनियम की धारा 5 के उपखंड (6) को संतुष्ट करता हो। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि विद्वान निर्धारित प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष सं 3 गलत है। वास्तव में, आदेश अंक सं0 3 इतना अप्रकट है कि यह वास्तव में ज्ञात नहीं है कि बिक्री–विलेख को किसने निष्पादित किया। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए, विद्वान निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अंक सं0 3 पर दी गयी टिप्पणी, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया है, खारिज किये जाने योग्य है और निर्धारित प्राधिकरण द्वारा मामले पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

13. जहां तक मुद्दा नं0 4 संबंधित है, विद्वान विहित प्राधिकरण के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया था, वह यह था कि क्या चौधरी राम और रोशन लाल कुछ भूमि के कब्जे में हैं और उन्होंने उसी पर अधिभोग अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री पर चर्चा करने के बाद, विहित प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चौधरी राम, प्यारेलाल, रोशनलाल, वेद प्रकाश और रमेश कुमार लगभग

9 वर्षों से भूमि के कब्जे में हैं और उनके नाम समेकन अधिकारी द्वारा समेकन कार्यवाही में दर्ज किए गए हैं।

14. कानून का सुस्थापित सिद्वांत है कि, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकार स्थापित करने के लिए प्रतिकूल अधिकार का दावा करने (nec vi, nec clam, nec precario) वाले पक्षकार को वैधानिक अवधि में अपना कब्जा साबित करना होगा। दूसरे शब्दों में, प्रतिकूल अधिकार के माध्यम से अधिकार का दावा करने वाले पक्षकार को यह स्थापित करना चाहिए कि उसका अधिकार शांतिपूर्ण, खुला और निरंतर हैं, जिसमें वास्तविक मालिक के खिताब के प्रति शत्रुता है। मौजूदा मामले में, इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय विद्वान निर्धारित प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्वान विहित प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा, विद्वान विहित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके निजी प्रतिवादी द्वारा दायर कार्यान्वयन आवेदनों को अनुमति दी थी, के अनुरूप नहीं है।

15. इसके अलावा, एक और पहलू निर्धारित प्राधिकरण द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया है, जब भी भूमि सुधार अधिनियम के तहत राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों और समेकन अधिनियम के तहत अधिकारियों के बीच एक संघर्ष है, भूमि सुधार अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा पारित आदेश प्रबल होगा। केवल इसलिए कि समेकन प्राधिकरण ने सीमा अधिशेष के निर्धारण के लिए नियत दिन के बहुत बाद कुछ व्यक्तियों को दर्ज किया है, ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में अनुकूल आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं।

16. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के संबंध में, इस न्यायालय की राय है कि इस मामले पर माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ–साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट, विद्वान निर्धारित प्राधिकरण द्वारा पुनः विचार किया जाना चाहिए।

17. मामले के उस दृष्टिकोण में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है; विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर कुमांऊ डिवीजन, नैनीताल के सिविल अपील नं0 4/13 (वर्ष 1999–2000) के आदेश दिनांक 05.12.2001 (अनुलग्रक सं 5) तथा निर्धारित प्राधिकरण/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एफ एंड आर), ऊधमसिंहनगर द्वारा अधिकतम सीमा मामले सं 51/36 (वर्ष 1990–91) में दिये गये आदेश दिनांकित (अनुसंलग्नक संख्या–3) एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है; और मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ–साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों

के आलोक में और इस निर्णय में पुनः विचार के लिए विद्वान विहित प्राधिकरण को वापस भेजा जाता है।

18. पक्षों को 22.04.2022 को विद्वान निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

19. इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति पंजीकरण द्वारा निर्धारित प्राधिकरण को तुरंत प्रेषित की जाए।

S.K. Mishra, A.C.J.

दिनांकित 25 मार्च, 2022